**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1230**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु भवन**

**1230. श्री श्यामल चक्रवर्ती:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या यह सच है कि देश भर में नमूने के तौर पर जांच किए गए 60 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन नहीं हैं तथा 25 प्रतिशत आधे पक्के/कच्चे भवन अथवा खुले में/आंशिक रूप से ढके हुए स्थल पर चल रहे हैं;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करेगी?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) :** 12.03 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, 31.12.2012 तक स्‍वयं के भवनों, पक्‍के, कच्‍चे भवनों, खुली जगह आदि में कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत इस प्रकार है :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **भवन का प्रकार** | | |
|  | **कच्‍चा** | **पक्‍का** | **कुल** |
| रिपोर्ट करने वाले कुल एडब्‍ल्‍यूसी | | | 1203365 |
| सरकार के स्‍वामित्‍व वाले भवन | 0.04% | 30.04% | 30.08% |
| किराए के |  |  |  |
| एडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यू/ एडब्‍ल्‍यूएच गृह | 0.84% | 4.40% | 5.24% |
| अन्‍य | 11.42% | 16.23% | 27.65% |
| सामुदायिक |  |  |  |
| स्‍कूल | 0.00% | 22.33% | 22.33% |
| पंचायत | 0.05% | 3.89% | 3.94% |
| अन्‍य | 2.48% | 7.10% | 9.58% |
| खुला स्‍थान | 0.91% | 0.27% | 1.18% |
| **कुल** | **15.74%** | **84.26%** |  |

(ग) : आईसीडीएस स्‍कीम के क्रियान्‍वयन का निर्धारित मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्‍यम से सतत मानीटरन किया जाता है । प्राप्‍त सूचनाओं एवं फीडबैक के आधार पर राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों की आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन एवं कार्यकरण सहित स्‍कीम के क्रियान्‍वयन की कमियों को पूरा करने तथा उसमें सुधार के लिए पत्रों एवं समीक्षा बैठकों के माध्‍यम से कहा जाता है ।

समेकित बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) स्‍कीम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है क्‍योंकि स्‍कीम में पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के अलावा, जिनके लिए वर्ष 2001-02 से 1.75 लाख प्रति इकाई की लागत से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए वित्‍तीय सहायता दी जा रही है, अब राज्‍यों में इन्‍हें समुदाय द्वारा उपलब्‍ध कराए जाने की परिकल्‍पना की गई ।

राज्‍यों से एमपीलेड्स एनएलएलेड्स, बीआरजीएफ, आरआईडीएफ, पंचायती राज, नरेगा तथा जनजातीय कार्य, अल्‍प संख्‍यक कार्य मंत्रालय का बहुद्देश्‍यीय विकास कार्यक्रम (एमएडीपी) सर्वशिक्षा अभियान के तहत, वित्‍त आयोग, राज्‍य योजना के तहत अतिरिक्‍त केंद्रीय सहायता, समेकित कार्य योजना आदि जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों से राशि का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है ।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार करने के लिए आईसीडीएएफ के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का अनुमोदन किया है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, उन्‍न्‍यन एवं रखरखाव, वज़न मापने की मशीनों, रसोई के बर्तनों, स्‍कूल-पूर्व एवं चिकित्‍सा किटों, फर्नीचर आदि के लिए प्रावधान किया गया है । आईसीडीएस स्‍कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के भाग के रूप में सरकार 12वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्वोत्‍तर राज्‍यों को छोड़कर, जहां अनुपात 90:10 होगा, अन्‍य राज्‍यों में 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी के साथ 4.5 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण तथा एक लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्‍नयन के प्रावधान का अनुमोदन किया है । हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मनरेगा के तहत अनुमेय नए कार्य की सूची में एक पात्र प्राधिकृत गतिविधि के रूप में शामिल किया है ।

\*\*\*\*\*